

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संचिका संख्या-17/एल 1-54/2017-

पटना, दिनांक-

डा० गजेन्द्र किशोर ठाकुर, प्राध्यापक, रेडियोलॉजी विभाग-सह-अधीक्षक, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर को दिनांक-30.11.2017 से 08.12.2017 तक भ्रमण हेतु सपरिवार मलेशिया (विदेश) की यात्रा के लिए निम्न शर्तों के साथ स्वीकृति/अनुमति प्रदान की जाती है।

1. डा० ठाकुर, विदेश प्रवास के समय अपने पेशे से संबंधित अथवा किसी प्रकार का कार्य धनोपार्जन हेतु नहीं करेंगे।
2. डा० ठाकुर, इस यात्रा में होने वाले सम्पूर्ण व्यय का वहन निजी श्रोत से करेंगे।
3. डा० ठाकुर, विदेश जाने से पूर्व विदेश प्रवास की अवधि में अपने कार्यों के निष्पादन की व्यवस्था कर ही विदेश के लिए प्रस्थान करेंगे।
4. डा० ठाकुर, को उक्त निर्धारित तिथि के पश्चात् तुरन्त वापस लौटकर पदस्थापित स्थान पर योगदान कर लेना होगा, अन्यथा सेवा शर्तों के अधीन दण्ड के भागी होंगे।
5. डा० ठाकुर, विदेश यात्रा से लौटने के पश्चात् अपने पार-पत्र की छायाप्रति विभाग को उपलब्ध करायेंगे।
6. इस यात्रा अवधि का विनियमन उनको देय अवकाश से स्वीकृत किया जायेगा।

ह०/-

(सच्चिदानन्द चौधरी)

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक :-17/एल 1-54/2017-

/पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :-महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/प्राचार्य, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर/डा० गजेन्द्र किशोर ठाकुर, प्राध्यापक, रेडियोलॉजी विभाग-सह-अधीक्षक, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-17/एल 1-54/2017- 650(17) पटना, दिनांक- 30/11/17

प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।